

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/BSPTCL-01/2014

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:** बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पाँच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं0-840 दिनांक-24.02.2014 के द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पाँच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश सं0-2304 दिनांक 07.07.2014 के द्वारा 10.00 करोड़ रुपये तथा राज्यादेश सं0-3079 दिनांक-23.08.2014 के द्वारा 30.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश सं0-1777 दिनांक-25.06.2015 के द्वारा 70.00 करोड़ रुपये तथा राज्यादेश सं0-1921 दिनांक-08.07.2015 के द्वारा 125.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश सं0-1591 दिनांक-17.05.2016 के द्वारा 70.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यादेश सं0-1349 दिनांक-24.04.2017 के द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यादेश सं0-1585 दिनांक-31.05.2018 के द्वारा 90.90 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्यादेश सं0-1168 दिनांक-17.05.2019 के द्वारा 15.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 520.90 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गई है। इस योजना के त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कुल 520.90 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पाँच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-18.02.2014 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-01/2014 पृष्ठ संख्या-53/टि० पर दिनांक-01.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-01/2014

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-01/2014 2060

/पटना, दिनांक- 01/08/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।